नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 175/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. मुकेश व्यास पिता गोपाल व्यास नि0 – रमाविहार , एच.न. 107 , भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

————प्रार्थी

बनाम

1. बालु पिता परसा जाट निवासी – महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्रवण पिता रघुनाथ गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. सांवरी पुत्री रघुनाथ गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. पानी बेवा रघुनाथ गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. कल्याण पुत्र रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. भंवर पुत्र रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. लक्ष्मण पुत्र रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. रामू पुत्री रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
9. फेफी पुत्री रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
10. धापू पुत्री रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
11. सुगना पुत्री रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
12. रूकमा पत्नि रूपा गाडरी निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
13. काना पिता मोहन नाई निवासी – लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
14. एस.बी.आई बैक शाखा सरदारनगर जरिये मेनेजर एस.बी.आई. शाखा सरदारनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
15. एस.बी.आई बैक शाखा बनेडा जरिये मेनेजर एस.बी.आई. शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 16

निर्णय

दिनांक 23–10–20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा लापिया पटवार मण्डल बबराणा तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 251 का आराजी नम्बर 85 कुल खसरा 01 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगण संख्या 01 से 12 की आराजी सं0 65 , 70 , 71 , 83 व विपक्षी संख्या 13 की आराजी नम्बर 1483/84 के मेर के सहारे–सहारे 30 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

विपक्षी बावजुद सुचना के भी अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा लापिया के आराजी न0 65 , 83 आराजी से रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि पहुंचने हेतू उक्त आराजी नम्बर 87 का रास्ते का उपयोग करते आ रहे है तथा प्रार्थी को खातेदारी भूमि मे पहुचंने हेतू कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।
2. ग्राम लापिया की आराजी नं0 65 रकबा 8–05 बीघा भूमि किस्म बी.ब. खातेदार श्री बालु पिता परसा 1/3 जाट सा0 महुआखुर्द श्रवण पिता रघुनाथ , सांवरी पुत्री रघुनाथ , पानी बेवा रघुनाथ 1/6 , कल्याण भंवर , लक्ष्मण पुत्र रूपा , रामू फुफी धापू सुगना पुत्रिया रूपा , पानी बेवा रघुनाथ , श्रवण ; सायरी पिता रूघनाथ , पानी बेवा रूघनाथ कमला पत्नि रूपा 1/2 गाडरी निवासी लापिया के नाम दर्ज रेकार्ड है । कल्याण का हिस्सा एसबीबीजे सरदारनगर के रहन है ।
3. इसी प्रकार ग्राम लापिया की आराजी नं0 83 रकबा 6–15 बीघा भूमि किस्म बी.ब. खातेदार पानी बेवा रूघनाथ , श्रवण पिता रघुनाथ , सांवरी पुत्री रघुनाथ , पानी बेवा रघुनाथ , कल्याण भंवर , लक्ष्मण पुत्र रूपा , पानी बेवा रूघनाथ , श्रवण , सायरी पिता रूघनाथ , पानी बेवा रूघनाथ , कल्याण , भंवर लक्ष्मण पिता रूपा गाडरी निवासी लापिया के नाम दर्ज रेकार्ड है । कल्याण का हिस्सा एसबीबीजे सरदारनगर के रहन है । उक्त आराजी मे से 0–04 बीघा चाही गई है ।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 108684/– प्रति बीघा से 0–07 बीघा भूमि की मालियत 38040/– रूपये बनती है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा लापिया की आराजी नं0 65 मे से 0–03 बीघा एंव आराजी नं0 83 मे से 0–04 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । एंव मौजा लापिया की आराजी नं0 65 मे से 0–03 बीघा एंव आराजी नं0 83 मे से 0–04 बीघा भूमि भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त आराजी नं0 65 मे से 0–03 बीघा एंव आराजी नं0 83 मे से 0–04 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम लापिया पटवार बामणिया का खाता संख्या 128 का आराजी नम्बर 1351 , 1352 , 1353 कुल खसरा 03 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम लपिया की आराजी नं0 आराजी नं0 65 मे से 0–03 बीघा एंव आराजी नं0 83 मे से 0–04 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–07 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा